न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3106–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 21–08–14 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 386/बी–121/13–14 अपील.

1– सुधीर दहायत पिता हसनलाल दहायत
2– दिलीप दहायत पिता हसनलाल दहायत
3– ओंकार दहायत पिता हसनलाल दहायत
सभी निवासी ग्राम हिनौता, ग्राम पंचायत
अमझर, पो. सोनकर, तह0 कुण्डम,
जिला जबलपुर, म0प्र0 —— आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती हल्कीबाई पति स्व. सुकरत गौड़
2– भद्दूसिंह पिता स्व. सुकरत गौड़
3– संतोष सिंह पिता स्व. सुकरत गौड़
4– भांकर सिंह पिता स्व. सुकरत गौड़
5– नन्हेलाल पिता स्व. सुकरत गौड़
सभी निवासी ग्राम हिनौता, ग्राम पंचायत
अमझर, पो. सोनकर, तह0 कुण्डम,
जिला जबलपुर, म0प्र0 —— अनावेदकगण

श्री एन0पी0 पाण्डे, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री सुनील जैन, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 15–जून, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर

संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 386/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21–08–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 07–03–13 व्दारा अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 916/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 31–01–2011 के अनुसार ग्राम हिनौता स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 2.80 हे0 का कब्जा अनावेदकगण हल्कीबाई आदि को दिलाये जाने के आदेश दिये एवं राजस्व अभिलेखों में उनके नाम वहैसियत भूमिस्वामी दर्ज किया जाय। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण सुधीर आदि ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–01–14 व्दारा अपील स्वीकार की और तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजा कि विधि प्रावधानों के प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाना सुनिश्चित करे। इस आदेश के विरूध्द अनावेदकगण श्रीमती हल्कीबाई आदि ने अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निराकरण अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 21–08–14 व्दारा किया है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। निगरानी में आवेदकगण का यह तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अन्तरिम प्रकृति का होने से उसके विरूध्द प्रस्तुत अपील सुनवायी योग्य नहीं थी। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष ना तो आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया और ना ही तहसीलदार व्दारा कब्जा वापिस दिलाये जाने के आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सूचनापत्र जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया, इसलिये आदेश संहिता की धारा 38 के प्रावधानों के विपरीत होने से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा

निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31–01–11 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को सौपने तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर उनका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 13–07–11 तथा अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–07–12 में की है। राजस्व मण्डल व्दारा भी निगरानी आदेश दिनांक 25–04–13 व्दारा खारिज की गयी है। तत्पश्चात ही तहसीलदार व्दारा कार्यवाही कर अनावेदकगण को कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये हैं। मान. उच्च न्यायालय व्दारा रिट पिटीशन क0 9523/2013 में एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया गया था जिसे मान. उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 09–12–14 व्दारा निरस्त किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड पूर्व में दुरूस्त हो जाने के कारण इस बिन्दु पर आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी। अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश विधि मान्य है एवं उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–01–14 से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तहसील का आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया है कि विधि के प्रावधानों के पालन में कब्जा दिलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश अन्तरिम प्रकृति का है। संहिता की धारा 46 (घ) के अनुसार जो आदेश अन्तरिम स्वरूप का हों, उसके विरूध्द अपील नहीं हो सकती, किन्तु विव्दान अपर आयुक्त व्दारा अपील में आदेश पारित करते समय इस विधिक प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया। ऐसी दशा में अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 38 में स्थावर सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीति प्रावधानित है

जिसके अनुसार कब्जाधारी व्यक्ति या व्यक्तियों पर ऐसी सूचना तामील करके जिसमें उनसे यह अपेक्षा की जावेगी कि वे उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसे समय के भीतर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, भूमि खाली कर दें। इस प्रावधानुसार तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गयी। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तहसील का आदेश निरस्त कर प्रकरण विधि अनुसार कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21–08–14 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–01–14 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,